पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1125

दिनांक-06.07.2026

कार्यालय, अपराध शाखा, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

लखनऊ का पहला "BOSS SCAM" प्रकरण का सफल अनावरण: साइबर क्राइम पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही से 10.85 लाख की धनराशि वापस, शेष रिकवरी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही जारी।

"बॉस स्कैम" का शिकार बने लखनऊ के मशहूर व्यवसायी CALCUTTA REGALIA के अकाउंटेंट से व्हाट्सएप पर व्यवसायी के पुत्र बनकर मालवेयर युक्त संदेश भेजकर 18 लाख रुपये की साइबर ठगी सफल अनावरण।

त्वरित पुलिस कार्यवाही:

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ तथा श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) के निर्देशन में, पुलिस उपायुक्त (अपराध), अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) एवं सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर क्राइम) के कुशल पर्यवेक्षण में थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट लखनऊ की टीम द्वारा मु०अ०सं० 0062/2026 में त्वरित, प्रभावी एवं समन्वित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के इस प्रकरण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई।

जांच के दौरान संबंधित बैंकों, पेमेंट एग्रीगेटर्स एवं अन्य संस्थाओं से त्वरित समन्वय स्थापित कर संदिग्ध बैंक खातों को चिन्हित किया गया तथा फ्रॉड की गई धनराशि को सुरक्षित कराने हेतु लगातार प्रभावी फॉलो-अप किया गया।

इन सतत प्रयासों के फलस्वरूप पूर्व में ₹6,00,000/- की धनराशि पीड़ित को वापस कराई गई थी। आगे की कार्रवाई में ₹4,85,000/- की अतिरिक्त धनराशि भी सफलतापूर्वक पीड़ित के खाते में वापस करा दी गई।

इस प्रकार अब तक कुल ₹10,85,000/- (दस लाख पचासी हजार रुपये) की ठगी गई धनराशि पीड़ित को वापस कराई जा चुकी है। शेष धनराशि की रिकवरी, साइबर अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु तकनीकी एवं विधिक कार्रवाई निरंतर प्रचलित है।

थाना साइबर क्राइम की कार्रवाई-

शिकायत प्राप्त होते ही साइबर क्राइम थाना पर तुरन्त मुकदना पंजीकृत करते हुए Golden Hour Response के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंकों को धनराशि होल्ड कराने हेतु अनुरोध भेजा गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन का तकनीकी विश्लेषण किया गया तथा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया गया।

इसी प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अब तक ₹10.85 लाख की धनराशि पीड़ित को वापस कराई जा चुकी है।

धनराशि वापस कराने में सक्रिय अधिकारी/कर्मचारी -

1. साइबर क्राइम थाना , लखनऊ।

पीड़ित का धन्यवाद वक्तव्य:

"मैं लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जब मेरे साथ ₹18 लाख की साइबर ठगी हुई तो मुझे लगा कि मेरी पूरी धनराशि वापस मिलना लगभग असंभव है। लेकिन थाना साइबर क्राइम की टीम ने मेरी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लगातार फॉलो-अप किया, जिसके परिणामस्वरूप अब तक ₹10.85 लाख की धनराशि वापस मिल चुकी है। पुलिस की तत्परता, तकनीकी दक्षता एवं संवेदनशील कार्यप्रणाली के लिए मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शेष धनराशि भी शीघ्र बरामद कर ली जाएगी।"

ADCP Crime किरन यादव (I.P.S.) के द्वारा बताया गया कि साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जा रहे नए-नए तरीकों में "Boss Scam" (Business Impersonation Fraud) तेजी से उभरकर सामने आया है।

Boss Scam साइबर अपराध का ऐसा संगठित स्वरूप है जिसमें अपराधी किसी कंपनी के मालिक, CEO, निदेशक अथवा वरिष्ठ अधिकारी का प्रतिरूप धारण करते हैं। अपराधी पहले सोशल मीडिया, कंपनी की वेबसाइट, LinkedIn, Facebook, Instagram एवं अन्य सार्वजनिक स्रोतों से कंपनी तथा उसके अधिकारियों की जानकारी एकत्र करते हैं। इसके बाद समान प्रोफाइल फोटो एवं नाम का उपयोग कर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर बनाते हैं।

इसके बाद Accounts या Finance विभाग के कर्मचारी को संदेश भेजकर कहा जाता है कि—

* "मैं मीटिंग में हूँ, कॉल मत करना।"
* "यह गोपनीय भुगतान है।"
* "अभी तुरंत भुगतान करना है।"
* "डील फाइनल करनी है, देर नहीं होनी चाहिए।"

अपराधी कर्मचारी को मानसिक दबाव एवं विश्वास में लेकर धनराशि अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा लेते हैं।

साइबर पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमें में ग्वालियर मध्यप्रदेश से 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

अपर पुलिस उपायुक्त (अपराध) किरन यादव (आईपीएस) द्वारा इस तरह के साइबर अपराधों से बचने के लिए यह भी बताया गया कि साइबर अपराधी तकनीक के साथ-साथ मानवीय विश्वास एवं मनोविज्ञान का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। Boss Scam में अपराधी स्वयं को कंपनी का मालिक, वरिष्ठ अधिकारी अथवा उनके परिजन बताकर कर्मचारियों पर तत्काल भुगतान का दबाव बनाते हैं। किसी भी वित्तीय निर्देश का पालन केवल व्हाट्सएप संदेश, प्रोफाइल फोटो या ई-मेल के आधार पर कभी न करें। संबंधित अधिकारी से उनके आधिकारिक मोबाइल नंबर अथवा अन्य विश्वसनीय माध्यम से स्वतंत्र रूप से सत्यापन अवश्य करें। प्रत्येक संस्था को वित्तीय लेन-देन हेतु Two-Level Verification एवं Maker-Checker प्रणाली अपनानी चाहिए। समय पर शिकायत दर्ज होने पर धनराशि की रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है तो तत्काल 1930 हेल्पलाइन अथवा National Cyber Crime Reporting Portal पर शिकायत दर्ज कराए। साइबर क्राइम थाना, कमिश्नरेट लखनऊ आमजन की डिजिटल सुरक्षा हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।

अपील / साइबर सुरक्षा सलाह

* केवल व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो अथवा नाम देखकर किसी की पहचान पर विश्वास न करें।

* किसी भी वित्तीय निर्देश का पालन करने से पहले संबंधित अधिकारी से स्वतंत्र रूप से पुष्टि अवश्य करें।

* “मीटिंग में हूँ”, “कॉल मत करना”, “अभी तुरंत भुगतान करो” जैसे संदेशों पर विशेष सतर्कता बरतें।

* कंपनी में दो-स्तरीय (Maker-Checker) अथवा Multi-Level Approval प्रणाली लागू करें।

* अज्ञात लिंक, APK फाइल अथवा संदिग्ध एप्लीकेशन डाउनलोड न करें।

* OTP, UPI PIN, नेट बैंकिंग पासवर्ड अथवा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें।

* साइबर ठगी होने पर गोल्डन आवर के भीतर तत्काल 1930 पर कॉल करें अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

जारीकर्ता
अपर पुलिस उपायुक्त,अपराध कार्यालय
कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1124

दिनांक-06.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-गोसाईगंज लखनऊ

- **सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी व थाना गोसाईगंज पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में सुनार के साथ हुई लूट की घटना का सफल अनावरण किया गया। (बरामद माल अनुमानित कीमत लगभग 01.50 करोड)।**
- **लूट करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से 13 अदद हार, 412 अदद लाकेट, 03 अदद अंगूठी जेन्ट्स, 295 जोडी बाला/बाली, 204 अदद नथ, 36 अदद मांग बेदी, 228 अदद झाला, 28 अदद नथुनी व 05 अदद लर, 10 अदद बाला, 04 अदद ढेडी दार टप्स, फुटकर कनौटी बिंदी लाकेट पीली धातु (कुल वजन 1086.230 ग्राम) व घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 0.32 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस व एक दो पहिया मोटरसाइकिल अपाचे बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक-23.06.2026 को वादी मुकदमा सचिन कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राम कुमार वर्मा निवासी पचवन टोला बंग्ला वार्ड अमेठी थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत करायी गयी एफआईआर के अनुसार वादी मुकदमा ज्वैलर्स की दुकान मुन्शीगंज राम बाग रोड पर स्थित है। प्रति दिन की भांति दिनांक-23.06.2026 को वादी मुकदमा अपनी दुकान व अपने भाई मनीष सोनी की दुकान का सोने चांदी के जेवरात बैग मे रख कर अपनी स्कूटी से अपनी दुकान से अपने घर आ रहा था कि समय करीब 08.30 PM बजे बंग्ला भवानी मन्दिर के पास 03 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी की स्कूटी रोक कर स्कूटी व बैग लूटने की कोशिश करने लगे जब वादी ने शोर मचाया तो अभियुक्तगणो ने वादी मुकदमा के पैर मे गोली मार कर स्कूटी व बैग में रखे आभूषण लूट कर भाग गये थे । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-236/2026, धारा-309(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
- घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय के द्वारा कुल 04 टीमों का गठन करते हुए सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी टीम को भी लगाय गया था।
- टीमों द्वारा लगभग 600 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखा गया तथा सर्विलांस सेल द्वारा इलैक्ट्रानिक साक्ष्य एकत्रित किया गया जिसके फल स्वरूप दिनांक-06.07.2026 रात्रि को पुलिस टीम द्वारा दो शातिर अभियुक्तों को **दहेरामऊ एण्डरपास थाना गोसाईगंज से** गिरफ्तार कर लूट का माल कब्जे से बरामद करते हुए थाना गोसाईगंज लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं-236/2026, धारा-309(6) बीएनएस में बढोत्तरी धारा317(2)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है। एक अन्य अभियुक्त सोनू यादव की गिरफ्तारी शीघ्र की जायेगी ।

•

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. शिवम यादव उर्फ कुंदन पुत्र उदयभान यादव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम ककोहिया, थाना सिकरारा जनपद,जौनपुर।

शिक्षा- स्थातक व एडीसीए कम्प्यूटर कोर्स।

2. अंकुल यादव उर्फ गोले पुत्र ब्रजेश यादव उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम ककोहिया थाना सिकरारा जनपद जौनपुर।

शिक्षा-10th व डिप्लोमा पॉलीटेक्निक (मैकेनिकल)

03-पूछताछ विवरण/माड्स आपरेण्डीः-

अभियुक्तणों से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण अपने सामान्य उद्देश्य व जरूरतो को पूरा करने के लिए ज्वैलर्स की दुकान के आस पास व उनके आने जाने के समय की रैकी करते है और अपने साथ चोरी की ही मोटर साइकिल रखते है। उसके बाद घटना को अंजाम देते है। यदि आसानी से सामान नहीं मिलता है तो गोली मारकर घायल कर लूटपाट कर भाग जाते है। अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक-23.06.02026 को थाना गोसाईगंज लखनऊ में सुनार के पैर में गोली मारकर लूट की घटना कारित की गयी थी व अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक-06.06.2026 को थाना हजरतगंज से बाइक चोरी की गयी थी व दिनांक-18.06.2026 को थाना मील एरिया जनपद रायबरेली मे भी सुनार को गोली मारकर लूट की घटना घटित की थी व दिनांक-28.05.2026 को थाना अलीनगर जनपद चंदौली में भी सुनार को गोली मारकर लूट की घटना घटित की गयी थी। अभियुक्तगण इस तरह के अपराध कारित करने के अभयस्त अपराधी है।

04.अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0-236/2026,धारा-309(6) बीएऩएस बढोत्तरी धारा-3(5)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस थाना गोसाईगंज,लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-121/2026,धारा-303(2) बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-172/26, धारा-309(6) बीएनएस थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली।

05-आपराधिक इतिहासः-

शिवम यादव उर्फ कुंदनः–

1. मु0अ0सं0-309/21, धारा-323/504/506 भादवि थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0-211/22, धारा-307 भादवि थाना बक्सा जनपद जौनपुर।
3. मु0अ0सं0-369/24, धारा-109/115(2)/324(4)/351(2)/352 बीएनएस थाना बक्सा जनपद जौनपुर।

अंकुल यादव उर्फ गोलेः-

1. मु0अ0सं0-236/2026,धारा-309(6) बीएनएस बढोत्तरी धारा-3(5)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस थाना गोसाईगंज,लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-121/2026,धारा-303(2) बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-172/26, धारा-309(6) बीएनएस थाना मिल एरिया जनपद रायबरेली।

06-बरामदगी विवरणः-

- 13 अदद हार पीली धातु
- 412 अदद लाकेट पीली धातु
- 03 अदद अंगूठी जेन्ट्स पीली धातु
- 295 जोडी बाला/बाली पीली धातु
- 204 अदद नथ पीली धातु
- 36 अदद मांग बेदी पीली धातु
- 228 अदद झाला पीली धातु
- 28 अदद नथुनी पीली धातु
- 05 अदद लर पीली धातु
- 10 अदद बाला पीली धातु
- 04 अदद ढेडी दार टप्स पीली धातु
- फुटकर कनौटी बिंदी लाकेट पीली धातु
- 30 जोडी पायल, सफेद धातु
- 163 अदद बिछिया, सफेद धातु
- 32 अदद हाय/ओम/चन्द्रमा सफेद धातु
- घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 0.32 बोर व 05 अदद जिन्दा कारतूस
- घटना में प्रयुक्त एक दो पहिया मोटरसाइकिल अपाचे (चोरी की)

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- **सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी व थाना गोसाईगंज पुलिस टीम।**

नोटः श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय दक्षिणी द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1127
दिनांक-06.07.2026

- आईजीआरएस रैंकिंग में पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने प्रदेश में प्राप्त किया प्रथम स्थान।
- माह जून-2026 में 100% अंक अर्जित कर बनाई नई उपलब्धि।
- कमिश्नरेट के 50 थानों ने भी शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में हासिल किया प्रथम स्थान।
- पुलिस आयुक्त के नेतृत्व एवं वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन का उत्कृष्ट परिणाम।
- समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी शिकायत निस्तारण से जनता का बढ़ा विश्वास।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि **उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई समाधान पोर्टल (आईजीआरएस)** पर शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण के क्रम में **पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ** ने माह **जून-2026** की शासन द्वारा जारी रैंकिंग में **शत-प्रतिशत (100%) अंक प्राप्त करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान** प्राप्त किया है।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि **पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ** के कुशल नेतृत्व, **संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय)** के प्रभावी मार्गदर्शन तथा **पुलिस उपायुक्त मुख्यालय** एवं **नोडल आईजीआरएस स्टाफ ऑफिसर, पुलिस आयुक्त कार्यालय** के सतत निर्देशन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग का परिणाम है।

जनसुनवाई शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता, गुणवत्ता, समयबद्धता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट स्तर पर निरंतर समीक्षा, प्रभावी अनुश्रवण तथा शिकायतकर्ताओं से फीडबैक प्राप्त करने की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की गई। इसी सतत प्रयास का परिणाम है कि **कमिश्नरेट लखनऊ के 50 थानों ने भी शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान** अर्जित किया है।

यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक दक्षता का परिचायक ही नहीं है, अपितु आमजन की शिकायतों के प्रति पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भविष्य में भी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए जनविश्वास को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

आईजीआरएस शाखा में नियुक्त अधि0/कर्म0गण का विवरण-

1. निरीक्षक श्री यशवन्त सिहं
2. उप-नि0 तनवीर अहंमद
3. हे0का0 रणजीत सिंह
4. हे0का0 महेन्द्र पाल वर्मा
5. हे0का0 राहुल गिरि
6. हे0का0 जयप्रकाश यादव
7. का0 अरुण कुमार
8. का0 विजय कुमार शुक्ला

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1130
दिनांक-06.07.2026

जोन- पूर्वी/ थाना-इन्दिरानगर

➢ **थाना इन्दिरानगर पुलिस टीम द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर महिला का उत्पीड़न एवं हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.07.2026 को वादी मुकदमा श्री अभिषेक ओझा पुत्र विरेन्द्र ओझा निवासी ग्राम- खरहाराड़ ,थाना- सिमरी ,जिला-बक्सर राज्य बिहार ने अपनी बहन को उसके पति व परिजनों द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित करने,चार पहिया वाहन की डिमाण्ड में पति कमलाकान्त व अन्य परिजन द्वारा वादी की बहन का दुपट्टा बाँध कर मार डालने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 176/2026 धारा- 80(2)/85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना इन्दिरानगर लखनऊ पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर, लखनऊ द्वारा की जा रही है।

उपरोक्त घटना को चुनौतीपूर्ण लेते हुए व उच्चाधिकारीगण के द्वारा दिये गये आदेशों निर्देशों के क्रम में थाना इन्दिरानगर की पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.07.2026 को समय करीब 12.40 बजे स्थान- पिकनिक स्पाट गेट खुर्रमनगर थाना इन्दिरानगर के पास से गिरफ्तार कर थाना हाजा लाकर दाखिल किया गया जिनके विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

02-अपराध का उद्देशय:-

अतिरिक्त दहेज के लिये पत्नी की हत्या करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. कमलकान्त मिश्रा उर्फ मिलन पुत्र शारदानंद मिश्रा नि0 ग्राम-पिंजरोई, थाना-संदेश ,जिला-भोजपुर (बिहार) व हालपता किराये का मकान म0नं0 245 मानस इन्क्लेव इन्दिरानगर, थाना इन्दिरानगर लखनऊ उम्र-28 वर्ष

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इन्दिरानगर लखनऊ-

1.श्री अजय नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

2.निरीक्षक श्री बृजेश कुमार, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

3.उ0नि0 श्री शिवप्रताप सिंह, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

4.रि0का0 नरेन्द्र कुमार, थाना इन्दिरानगर लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 1126
दिनांक-06.07.2026

जोन- उत्तरी/ थाना-मड़ियांव

- ***थाना मडियांव की पुलिस टीम द्वारा 06 वर्ष के बच्चे को लात – घूंसो तथा करछी/पलटे से मार पीट कर हत्या कर देने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***
- ***अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल करछी/पलटा भी किया गया बरामद।***

01-कार्यवाही।

दिनांक 05.07.2026 को थाना स्थानीय को आवेदक श्री दिनेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल निवासी कटरा दीवानखेड़ा थाना बीघापुर जिला उन्नाव द्वारा बावत आरोपीगण द्वारा वादी के पुत्र अहम उम्र लगभग 05 वर्ष को मारपीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 318/2026 धारा 103(1) बीएनएस बनाम 1.प्रशान्त उर्फ गौरव सिंह पुत्र प्रभात चन्द्र सिंह निवासी पहाड़पुर सरैया थाना गोसाईगंज अयोध्या 2.पूनम देवी पत्नी दिनेश कुमार निवासी कटरा दीवानखेड़ा थाना बीघापुर जिला उन्नाव के पंजीकृत किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण

दिनांक 06.07.2026 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र नौबस्ता मोड़ पर मामूर थी। कि जरिए मुखविर सूचना प्राप्त हुई साहब आपके थाने पर लिखे गये हत्या के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त प्रशांत सिंह जिसने एक बच्चे की हत्या कर दी थी वह लड़का इस समय मडियांव पुल के नीचे रेलवे लाईन के पास खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखविरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम प्रशांत सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र प्रभात चन्द्र सिंह निवासी ग्राम सरैया पहाडपुर थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 26 वर्ष बताया।

पकड़े गये अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नियमानुसार दिनांक 06.07.2026 को हिरासत पुलिस में लिया गया । **दौराने कार्यवाही मुकदमा मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का अक्षरश: पालन किया गया।**

आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य जनपदों एवं थानों से जानकारी की जा रही है।

03.अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

अभियुक्त द्वारा 06 साल के बच्चो को लात घूंसो तथा करछी/पलटा से मार मार कार हत्या कर देना।

04. गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01-प्रशांत सिंह उर्फ गौरव सिंह पुत्र प्रभात चन्द्र सिंह निवासी ग्राम सरैया पहाडपुर थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या उम्र करीब 26 वर्ष **(व्यव्साय – कुछ नही)**

05. बरामदगी का विवरणः-

- आलाकत्ल करछी/पलटा

06.गिरफ्तार करने वाली वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवानन्द मिश्र
2. उ0नि0 श्री दीपक कुमार पाण्डेय
3. उ0नि0 श्री कप्तान सिंह
4. हे0का0 आकाश सिंह
5. हे0का0 संदीप कन्नौजिया
6. का0 रोहित कुमार
7. का0 मयंक कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1128

दिनांक-06.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा वादिनी के साथ जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा सूचना दिया गया कि दिनांक 04/07/2026 को रात्रि लगभग 11:30 बजे मैं घर की छत पर सो रही थी। रात में पानी पीने के लिए नीचे आई। तभी अभियुक्त अजय पुत्र रेवती, निवासी ग्राम व पोस्ट गोपाल खेड़ा थाना मोहनलालगंज, लखनऊ,पीछे से आया और मेरा मुंह बंद कर जबरन घर से उठाकर पास के जंगल की ओर ले गया। जंगल में ले जाकर अभियुक्त ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ दुष्कर्म किया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 248/2026, धारा 64 एवं 115(2) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 बीएनएसएस व अन्य साक्ष्य संकलन से आरोप सत्य पाया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 06.07.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर नामजद अभियुक्त अजय कुमार पुत्र स्व0 रेवती उपरोक्त को **हरिकंशगढ़ी अंडर पास थाना क्षेत्र मोहनलालगंज** से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा अपराध को स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसके द्वारा नशे में ऐसा अपराध कारित हो गया । अभियुक्त के विरूद्ध नियामानुसार कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

02-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-अजय कुमार पुत्र स्व0 रेवती नि0 ग्राम व पोस्ट गोपालखेड़ा थाना मोहनलालगंज लखनऊ उम्र 37 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग-

01-मु0अ0स0 248/26 धारा 64/115(2) बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ ।

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- व0उ0नि0 श्री यशवन्त सिंह
- उ0नि0 श्री शिव कुमार
- का0 सोहित कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1129

दिनांक-06.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **हत्या करने में शामिल, 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना पीजीआई पुलिस की कार्यवाही।**

01.कार्यवाही विवरण:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वंसथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में हत्या करने में शामिल 01अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-03.07.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती पुष्पा रावत उर्फ त्क्षवि पत्नी स्व0 विनोद कुमार रावत पता ग्राम जगत खेड़ा मजरा कल्ली पश्चिम थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0- 355/2026, धारा-191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस बनाम 01.अखिलेश रावत पुत्र रामलोटन, 02.अमन रावत निवासीगण ग्राम ईश्वरीखेड़ा थाना पी0जी0आई0 लखनऊ, 03.राधे सरकार उर्फ अभिषेक, 04.अरून रावत, 05.अपिन लोधी 06.सचिन रावत निवासीगण ग्राम सरथुवा थाना पी0जी0आई0 लखनऊ, 07.शिवम चटियार निवासी नरपतगंज 08.राजू उर्फ रज्जा व अन्य अज्ञात द्वारा दिनांक-03.07.2026 को वादिनी के बेटे अभिषेक रावत को ग्राम सरथुवा में बुलाकर धारदार हथियार ,लाठी-डण्डो व लोहे की करछुला (बड़ा पलटा) से हमला कर घायल कर दिया गया ईलाज के दौरान जिसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया। **जिसमें मुख्य हत्यारोपी अखिलेश रावत को दिनांक 04.07.2026 न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।**

उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तो की तलाश हेतु थाना स्थानीय से पुलिस की टीमे गठित की गयीं। जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया घटना स्थल पर पूछताछ की गयी। तथा आज दिनांक 06.07.2026 को पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये अन्य अभियुक्त सुभाष चन्द्र पुत्र राम खिलावन निवासी- ग्राम सरथुआ थाना पीजीआई जनपद लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर किसान पथ अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया व न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।मुकदमे से सम्बन्धित अन्य अभियुक्तो की तलाश जारी है।

03- पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पुरानी रंजिश के चलते मारपीट लड़ाई-झगड़ा होने के बारे मे बताया गया, विवाद ज्यादा बढ़ जाने के कारण अभिषेक रावत बुरी तरह घायल हो गया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गयी थी।

04-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.सुभाष चन्द्र पुत्र राम खिलावन निवासी- ग्राम सरथुआ थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 31 वर्ष ।

05-अनावरित अभियोग का विवरणः-

1.मु0अ0सं0 355/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस थाना पीजीआई जनपद लखनऊ।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।